कार्यालय जिलाधिकारी कासगंज।

(खनिज अनुभाग)

(संशोधित)

ई–निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कासगंज में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–1875/ 88–2017–57 (सा०)/2017 TCI दिनांक 14.05.2017 मे दिये गये निर्देशानुसार ई निविदा सह ई नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा में आमन्त्रित निविदाओं को स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नयत घोषित किया जाता है –

क्षेत्र का विवरण व एरिया कोडः–

क0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का माप	क्षेत्र का विवरण				नियमावली 1963 अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर(रू0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार घनमीटर प्रतिवर्ष	प्रथम वर्ष मे आकलित भण्डार की कुल रायल्टी (कॉलम 9 में मे अकित घनमीटर प्रतिवर्ष को 08 मे अकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि	अनरेस्ट मनी कॉलम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/खण्ड सं0	क्षेत्रफल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	साधारण बालू	गंगा	सहावर	मनिकापुर खाग	5	23.225	65	2,50,000.00	1,62,50,000.00	40,62,500.00

खसरा/गाटा संख्याः5	उत्तर – गाटा संख्या 04 दक्षिण– गाटा संख्या 9,10,11 पूर्व– कैलई बडा भूमि पश्चिम– गाटा संख्या 12	एरिया कोड–2156180101
	A-N-27°54'26.18" B-N-27°54'23.80" C-N-27°54'23.65" D-N-27°54'17.73" E-N-27°54'19.99" F-N-27°54'17.48" G-N-27°54'21.65" H-N-27°54'23.76" I-N-27°54'18.09" J-N-27°54'31.05" K-N-27°54'30.70" L-N-27°54'27.20" M-N-27°54'28.50"	E-78°53'13.60" E-78°53'15.16" E-78°53'16.84" E-78°53'20.80" E-78°53'22.78" E-78°53'24.28" E-78°53'29.96" E-78°53'29.88" E-78°53'38.70" E-78°53'50.53" E-78°53'41.43" E-78°53'26.72" E-78°53'14.78"

ई–निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगीः–

प्री–बिड ईएम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एम0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता से सुनिश्चित कर लें।
प्रेस विज्ञप्ति का दिनांक	23.05.2023
प्रथम चरण ई–निविदा(ई–टेण्डर) की अवधि	26.06.2023 (पूर्वान्ह 10 बजे) से 30.06.2023, (सायं 5.00 बजे) तक
प्रथम चरण मे प्राप्त ई–निविदा(बिड) का खोल जाना एव उसका मूल्यांकन	03.07.2023 पूर्वान्ह 11 बजे
द्वितीय चरण ई–नीलामी की अवधि	03.07.2023 अपरान्ह 01.00 बजे से 3.00 बजे तक।

ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम०एस०टी०सी के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।

(डा0 वैभव शर्मा)
अपर जिलाधिकारी
कासगंज

संख्याः–154/खनिज अनुभाग–2023 दिनांकः–23/5/2023

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2. डी०आई०ओ०, एनआईसी कलेक्ट्रेट कासगंज को इस निर्देश के साथ कि जिले के एनआईसी पोर्टल पर उक्त सूचना को प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करे।
3. जिला सूचना अधिकारी कासगंज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में सबसे कम स्पेस में सरकारी दर पर [redacted] प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
4. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट कासगंज मुख्य नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु ।

23/5/23
अपर जिलाधिकारी
कासगंज

कार्यालय जिलाधिकारी कासगंज।

पत्रांक सं0 154 /खनिज अनुभाग 2023 दिनांकः 23/5/2 2023

ई–निविदा सह ई–नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वाँ संशोधन) नियमावली, 2019 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–2168/88–2019–57 (सामा०)/2017 दिनांक 09.10.2019 एवं तत्कम में जारी शासनादेश संख्या 1144/एम–1 ए 15/2019 दिनांक 11.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अध्याय–4 के अन्तर्गत खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता हैः–

1. क्षेत्र का विवरण ।

क्र०सं०	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली 2021 के अनुसूची 01 के अनुसार रायल्टी दर	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूप्यो में	अर्नेस्ट मनी(कालम 10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं/खण्ड सं	क्षेत्रफल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	साधारण बालू	गंगा	सहावर	मनिकापुर खाम	5	23.225	65	2,50,000.00	1,62,50,000.00	40,62,500.00

क्षेत्र का नया जियोक्वार्डिनेट्स

खसरा/गाटा संख्याः 05	उत्तर– गाटा संख्या 04 दक्षिण– गाटा संख्या 9,10,11 पूर्वः– कैलई बडा भूमि पश्चिम – गाटा संख्या 12	
	A-N-27^{0}54’26.18”	E-78^{0}53’13.60”
	B-N-27^{0}54’23.80”	E-78^{0}53’15.16”
	C-N-27^{0}54’23.65”	E-78^{0}53’16.84”
	D-N-27^{0}54’17.73”	E-78^{0}53’20.80”
	E-N-27^{0}54’19.99”	E-78^{0}53’22.78”
	F-N-27^{0}54’17.48”	E-78^{0}53’24.28”
	G-N-27^{0}54’21.65”	E-78^{0}53’29.96”
	H-N-27^{0}54’23.76”	E-78^{0}53’29.88”
	I-N-27^{0}54’18.09”	E-78^{0}53’38.70”
	J-N-27^{0}54’31.05”	E-78^{0}53’50.53”
	K-N-27^{0}54’30.70”	E-78^{0}53’41.43”

154

	L-N-27°54'27.20" M-N-27°54'28.50"	E-78°53'26.72" E-78°53'14.78"

2. ई– निविदा सह ई–नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।

3. ई–निविदा सह ई–नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड / बोली दिये जाने पर बिड /बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड / बोली की दर (रुपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी०) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी।

4. ई– निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई–निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई–निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई–नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई–नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई–बिड दे सकता है। ई–नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।

5.किसी क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्रि–बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा। यद्यपि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर मात्रा का पुनः निर्धारण किया जा सकता है।

6. एम०एस०टी०सी०लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा परिहार पर देने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.comपर की जायेगी।

7. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड / बोली हेतु class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी०एस०सी० की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

8. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन अधिकतम 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम०एस०टी०सी० के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति /फर्म / कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 (दो) क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वे बिड में भाग नहीं ले सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति / फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई– निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में रू0 15,000 /– (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदक शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

9. ई– निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति /फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०सी० में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति / फर्म/कम्पनी को ई–ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम०एस०टी०सी द्वारा भेजा गया सूचना ई–मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम०एस०टी०सी० को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू० 2,360/– (रू० दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम०एस०टी०सी पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई०डी०, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकृत बिडर्स जिसके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा परन्तु नये नियमों के अनुसार आवश्यक अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) हो पायेगा।

10. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम०एस०टी०सी० के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा–

(1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रायल भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण पत्र की प्रति ।

(2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

(3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी०एस०टी० नं० की प्रति।

(4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई–निविदा सह ई–नीलामी से संबन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई०एफ०एस०सी० कोड की प्रति तथा एक निरस्त चेक की प्रति ।
(5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र । जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति ।
(6) स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो।

11. एम०एस०टी०सी० द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की वेबसाईट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरोन्त केवल उन्ही व्यक्ति / फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम–26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति / फर्म/कम्पनी ई निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते है:–
(1) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है
(2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
(3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो। (4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
(5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
(6) फर्म/कम्पनी के मामलें में जिसने पैनकार्ड तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
(7) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारन्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

12. ऑनलाईन ई–निविदा डालने तथा ई–नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम०एस०टी०सी० के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर प्रदर्शित की जायेगी।

13. ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति /फर्म / कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक रू0 15000/– (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

14. सफल बोलीदाता / निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता / निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।

15. जहां किसी भी कारण से ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई–निविदा सह ई–नीलामी की जा सकती है।

16. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के क्षेत्र को, उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति /फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति /फर्म / कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हेक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र या 50 हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेंट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेंगी। नियमावली 1963 में 47वें संशोधन के पूर्व के प्रकरण इस शर्त से आच्छादित नहीं होंगे।

17. ई– निविदा सह ई–नीलामी की प्रकियाः–

(1) ई–निविदा सह ई–नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई–निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो संबन्धित उपखनिज के लिए नियमावली–2021 के अनुसूची–1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई–निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक–पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई–निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई–नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

(क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर दिया गया दर नियमावली – 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्ते पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदा दाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रति घन मीटर में दिया गया दर नियमावली 2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की माँग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के संबंध में निर्णय लेंगें।

(ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ) यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं, तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर–17 (2)(ग)(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई–नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रकिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/ऑफर द्वितीय चरण की ई–नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (फ्लोर प्राइस) स्वतः निर्धारित को जायेगी।

(5) ई–नीलामी की प्रक्रिया जो ई–निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म /कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। ई–नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाइन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो ई–नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई–निविदा सह ई–नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी।

प्री–बिड ईएम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि	ई–निविदा से पूर्व एम0एम0टी0सी0 में अपेक्षित प्री बिड ईएमडी एवं आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 वेबसाइट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता से सुनिश्चित कर लें।
प्रेस विज्ञप्ति का दिनांक	23.05.2023
प्रथम चरण ई–निविदा(ई–टैण्डर) की अवधि	26.06.2023 (पूर्वान्ह 10 बजे) से 30.06.2023, (सांय 5.00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा(बिड) का खोल जाना एवं उसका मूल्यांकन	03.07.2023 पूर्वान्ह 11 बजे
द्वितीय चरण ई–नीलामी की अवधि	03.07.2023 अपरान्ह 01.00 बजे से 3.00 बजे तक।

(8) <u>परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शनः–</u>

क. प्रथम चरण की ई–निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (टेन्डर) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिकतम् निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।
ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की ई–नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम०एस०टी०सी० के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

18. पट्टे का दिया जानाः– नियमावली के नियम–28 के प्रावधानों के अनुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के मामलें में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर–17 (2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता / निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

19. ई–नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोली दाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई–मेल के माध्यम से संबन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

20. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगेः–
(1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मीटर को ई–नीविदा/ई–नीलामी की दर रूपया प्रतिघन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
(2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/ निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/ निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्य दिवस के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।
(3)पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/ निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि वो साथ नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेंगी। पूर्व के परिहारधारकों द्वारा पंचम अनुसूची प्रक्रिया अन्तर्गत धनराशि जमा करने के अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(4)पट्टाधारक नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीनाबिन्दुओं का जिओ– कोआर्डिनेटस भी इंगित किया जायेगा तथा नियम 36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा और इसका अनुरक्षण करेगा।
(5) चयनित आवेदक नियम–35 के प्रविधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
(6)प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम 35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
(7) आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के भीतर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की। धनराशि जमा के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।।
(8)पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।

21. सफल बोलीदाता / निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीतिः
(1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी. परन्तु बोली / निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न होने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की मात्रा अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र क्षेत्र अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर से गुणा क़र प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षों मे प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली–2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
(2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि संबन्धित जनपद में विभाग के निर्धारित लेखाशीर्षक में लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर प्री बिट अर्नेस्ट मनी समायोजित करते हुए जमा किया जाना होगा। प्रि–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम०एस०टी०सी० द्वारा संबन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक /ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आनलाईन हस्तान्तरित की जायगी। यदि सफल बोलीदाता /निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।
(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षो के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
(4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस० जिला खनिज फाउण्डेशन डी०एम०एफ०) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

22. शर्तें :–विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी :–

(1) ई निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के संबंध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(2) पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित किया जाएगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

(3) पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाति करेगा।

(4) पट्टा धारक नियम 36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा ।

(5)पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर०एफ०आई०डी० स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 2021 के नियम 60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

(6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

(8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा ।

(10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

(11) मा0 उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

(12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस संबंध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा ।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

(हर्षिता माथुर)
जिलाधिकारी
कासगंज

संख्या प्रतिलिपिः—

निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ ।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय आगरा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
6. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी०लि०, ग्राउण्ड फ्लोर सी0डब्ल्यू0सी0 (CWC) क्षेत्रीय कार्यालय परिसर,गोमती नगर, लखनऊ ।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ/कासगंज को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु ।
8. अपर जिलाधिकारी,कासगंज।
9. जिला प्रभागीय वन अधिकारी, जनपद कासगंज।
10. समस्त उपजिलाधिकारी, कासगंज।
11. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कासगंज।
12. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज।
13. नाजिर कलेक्ट्रेट, कासगंज ।

जिलाधिकारी
कासगंज